

MP हाईकोर्ट ने मंदसौर में बूचड़खाने को NOC दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदसौर में एक नगर नगिम अधिकारी को भैंस वधशाला के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) देने का आदेश दिया है तथा अनुमति देने से इनकार करने को "अस्वीकार्य" बताया है।

मुख्य बंदि

- स्थानीय नकियाय का तर्क:
- स्थानीय नकियाय ने यह कहते हुए NOC आवेदन अस्वीकार कर दिया कि मंदसौर एक धार्मिक नगर है, इसलिये यहाँ बूचड़खाने की अनुमति देना अनुचित है।
- न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस तर्क को "पूरी तरह अस्वीकार्य" करार दिया।
- पवतिर क्षेत्र:
- राज्य सरकार ने 9 दसिंबर 2011 की अधिसूचना में मंदसौर में भगवान शवि के पशुपतनिथ मंदिर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे को "पवतिर क्षेत्र (Sacred Area)" घोषति किये।
- न्यायालय का अवलोकन:
- न्यायालय ने स्पष्ट किये कि अधिसूचना के आधार पर पूरे शहर को पवतिर क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किये जा सकता।

पशुपतनिथ मंदिर

- इसे मंदसौर शवि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- यह शविना नदी पर स्थति है और अपने आठ मुख वाले शविलिग के लिये जाना जाता है। मंदिर की मूर्तियाँ 5वीं या 6वीं शताब्दी की हैं।
- यह चकिने, गहरे ताँबे जैसे चट्टान के ब्लॉक से बना है।
- मंदिर में 100 कलिो सोने से मढ़ा (सजाया) गया एक घड़ा भी स्थति है।